

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एस-798 पार्ट)/2019/ दिनांक:-

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14338/2016 द्वारा श्रीमती सोहनी विश्नोई बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2016 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2018/435 दिनांक 28.02.2018 द्वारा याचिकाकर्ता/अभ्यर्थिया को उसके आवेदित अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयनित किया जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के अधीन किया गया था।

अतः श्रीमती सोहनी विश्नोई को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिनांक 05.01.2016 को जारी चयन सूची में अभ्यर्थियों की अंतिम कार्यग्रहण तिथि 29.01.2016 से उसकी काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि मानते हुए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पद का काल्पनिक आनुषंगिक लाभ देय होगा।

६ -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एस-798 पार्ट)/2019/426

दिनांक:- 25/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर